From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर**

इस्लाम **बनाम** जेन्नत

किस्म मुकदमा :- 88,188 R.T. Act **नंबर** 21 **वर्ष** 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-1-24	वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर डिक्री किये जाने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वाद में चाहा गया अनुतोष वर्णित आराजियात में उपरोक्त वाद शेष नहीं रहा है, इस कारण उपरोक्त वाद को वादीगण चलाना नहीं चाहते है अतः पत्रावली तलब कर डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। वादीगण मय एवं वकील वादी उपस्थित। वादीगण ने पहचान स्वरूप स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रतियां पेश की। हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं उपस्थित वादीगण, वकील वादी को सुना गया। चूंकि वादीगण उक्त वाद को चलाना नहीं [illegible] अतः वादीगण का वाद खारिज [illegible] पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। [signature] 04/01/24 **उपखण्ड अधिकारी** **रूपनगढ़ (अजमेर)**	ओमा सुबराती अमीना अ. नि. इस्ला... अ. नि. सुरे... अ. नि. रवि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:24 IST
Reason: SelfAttested